कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 29.06.2025

विषय:- **पैसा लेकर आर्मी में भर्ती कराने व फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने वाला 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी थाना चौक पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-13/2025, धारा- 319(2), 318(4), 338,336(3), 340(2) BNS थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त पुन्नु कुमार सिंह पुत्र मुन्नी सिंह पता ग्राम सैदपुर पोस्ट परसा थाना दरियापुर जनपद सारन(छपरा) बिहार उम्र करीब 30 वर्ष को दिनांक 29.06.2025 को पटना कान्वेन्ट स्कूल भूपतिपुर थाना बेऊर जनपद पटना बिहार से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान– दिनांक 29.06.2025, स्थान- पटना कान्वेन्ट स्कूल भूपतिपुर थाना बेऊर जनपद पटना बिहार।

घटना का विवरण:- दिनांक 31.01.2025 को आवेदक से अभियुक्त पुन्नू सिंह पुत्र मुन्नी सिंह निवासी ग्राम सैदपुर पोस्ट परसा थाना दरियापुर जनपद सारन(छपरा) बिहार द्वारा थल सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर कई बार में कुल 2,91,600/-(दो लाख इक्यानबे हजार छः सौ रुपया) लिया गया था। आवेदक ने जब नौकरी लगाने के लिए कहा तब अभियुक्त ने एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर वाट्सएप्प पर भेजा जिसका प्रिन्ट आउट निकालकर हेड क्वार्टर 39 जी0टी0सी0 वाराणसी गया तो वहां बताया गया कि यह फर्जी ज्वाईनिंग लेटर है। इसके बाद आवेदक द्वारा अभियुक्त से अपना पैसा माँगा गया तो वह आना-कानी करने लगा। जिस पर आवेदक द्वारा थाना चौक पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चौक पर मु0अ0सं0-13/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नाम व पता अभियुक्त:- पुन्नु कुमार सिंह पुत्र मुन्नी सिंह पता ग्राम सैदपुर पोस्ट परसा थाना दरियापुर जनपद सारन(छपरा) बिहार उम्र करीब 30 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-13/2025 धारा 319(2), 318(4), 338,336(3), 340(2) BNS थाना चौक कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-228/2022 धारा 170/171/406/420 भादवि थाना नाका हिन्डोला कमिश्नरेट लखनऊ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

01. प्रभारी निरीक्षक श्री विमल कुमार मिश्रा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
02. उ0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह चौकी प्रभारी पियरी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
03. का0 भानू प्रताप थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
04. का0 मनोज कुमार साहू थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।